न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री/टी0ए0/4029/2003/भरतपुर

1. मु0 परवो बेवा लाहोरी
2. निर्भय पुत्र लाहोरी
3. चेतराम पुत्र लाहोरी
4. हरिओम पुत्र लाहोरी
5. बहादुर उर्फ राजबहादुर पुत्र लाहोरी
6. मु0गुडडी बेवा दामोदर पुत्र लाहोरी

समस्त जाति धाकड निवासी ग्राम बझेराकंला तह0 बैर जिला भरतपुर।

7. मु0 सोहनबाई पुत्री लाहोरी जाति धाकड नाई की मण्डी धाकडान चौराहा, आगरा (उ0प्र0)।
8. बाबू पुत्र रामसिंह
9. जौहरीलाल पुत्र रामसिंह

जाति धाकड निवासीगण ग्राम बझेराकंला तह0 बैर जिला भरतपुर।

अपीलांट्स....

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बैर जिला भुरपतुर।
2. ग्राम पंचायत बझेराकंला तहसील बैर जिला भुरपतुर।

रेस्पो0 ....

खण्डपीठ
श्री आर0डी0मीणा, सदस्य
कमला अलारिया, सदस्य

उपस्थितिः–
श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक अपीलांट्स
श्री एस0पी0 औझा, राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांकः 10.11.2025

1– यह अपील अंतर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, भरतपुर दिनांक 17–05–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांटस के पिता लाहोरी व अपीलांट संख्या 8 व 9 ने विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर, वैर के समक्ष एक वाद इस्तकरारहक एवं स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88, 89, 188, 91, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि विवादित आराजी ख0न0 862, 863, 868, 879, 880, 881, 882, 884, 885, 886, 902, 956, 957 एवं 958 कुल किता 14 कुल रकबा 49 बीघा 4 बिस्वा भूमि संवत 2012 से वादीगण/अपीलांटस के पूर्वजों के कब्जे काश्त में चली आ रही है। जमींदारी जब्ती के समय भी विवादित आराजी वादी के पिता रामसिंह व बाबा कलुआ की खुदकाश्त व मिलकीयत की रही है। जिसका इन्द्राज राजस्व रिकार्ड संवत 2014–2017 में खुदकाश्त मालकान दर्ज है। विवादित आराजी के अलावा अन्य खसरा नंबरान वादी के पिता तथा अन्य सहमालिकों की शामलाती की थी। अन्य सहमालिकों को खातेदाररियाँ प्राप्त हो चुकी है। विवादित आराजी वादीगण के हिस्से में आई है। जिस पर वादीगण का आज दिनांक तक कब्जा काश्त चला आ रहा है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के एवं बिना सुने संवत 2023–2027 में मकबूजा ग्राम पंचायत चारागाह दर्ज कर दी गयी। इसी आधार पर वादीगण द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष दावा प्रस्तुत किया गया था। जिसे विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 31.01.2001 द्वारा खारिज कर दिया गया। विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलांटस/वादीगण द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, भरतपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी। जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 17.05. 2003 से खारिज करते हुये विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.01.2001 को यथावत रखा। अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री से ग्रसित होकर यह द्वितीय अपील मंडल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस अपील प्रकरण में सुनी गयी।

4– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका तर्क है कि अपीलांट/वादीगण विवादित आराजी के खुदकाश्त मालिक रहे है एवं राजस्व रिकार्ड में इसका इन्द्राज भी है। राजस्थान जमींदारी बिस्वेदारी

उन्मूलन अधिनियम वर्ष 1959 में लागू हुआ, जिसके पूर्व विवादित आराजी मकबूजा मालिकान अर्थात विस्वेदारी की खुदकाश्त की भूमि रही है। राजस्थान जमीदारी बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम, 1959 की धारा 29 के तहत अपीलांट इस भूमि के दिनांक 15.10.1955 को खातेदारी हो चुके थे। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने इस महत्वूपर्ण बिन्दु पर अपना कोई अभिमत दिये बिना ही निर्णय व डिक्री पारित किये है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि विचारण न्यायालय ने यह स्वीकार किया है कि जमाबंदी संवत 2017 में विवादित आराजी मकबूजा मालिकान खुदकाश्त रही है किन्तु जमाबंदी संवत 2023-27 में यह भूमि चारागाह दर्ज कर दी गयी। उक्त भूमि चारागाह किस प्रकार दर्ज की गयी यह सिद्ध नहीं किया गया है। जिस इन्द्राज पर विवादित आराजी संवत 2023 में चारागाह दर्ज की गयी है उसे ही चुनौती देते हुये अपीलांट/वादीगण ने वाद पेश किया है जिसको विचारण न्यायालय ने वाद कारण ना मानते हुये वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिसे अपीलीय न्यायालय ने भी पत्रावली का विवेचन किये बिना अपने निर्णय से अपीलांट की अपील खारिज कर दी, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। उनका तर्क है कि वादीगण/अपीलांट द्वारा चारागाह भूमि पर खातेदारी घोषणा का वाद प्रस्तुत नहीं किया बल्कि उसकी खुदकाश्त की भूमि को चारागाह राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया इस बाबत घोषणा का वाद प्रस्तुत किया था। परन्तु दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों ने उक्त विधिक बिन्दु पर विचार किये बिना ही अपीलांट के विरूद्ध निर्णय पारित कर दिया, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। उनका तर्क है कि विचारण न्यायालय ने दावा इस आधार पर खारिज किया है कि विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में चारागाह दर्ज है। अतः धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विवादित आराजी पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते। विवादित आराजी अपीलांट/वादीगण को बिना सुने ही राजस्व रिकार्ड में चारागाह दर्ज कर दी गयी । धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान विवादित आराजी पर लागू ही नहीं होते। परन्तु दोनों अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त विधिक आधार को नजरअंदाज करते हुये निर्णय पारित किये हैं जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों को अपास्त करने का निवेदन किया ।

5- विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपने बहस में तर्क दिया कि विवादित आराजी जमींदारी बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम, 1959 लागू के समय खुदकाश्त की भूमि नहीं थी। इसलिए विवादित आराजी पर अपीलांट खातेदारी

अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। उनका तर्क है कि वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में विवादित आराजी चारागाह दर्ज है तथा वर्तमान में विवादित आराजी पर ग्रम पंचायत का कब्जा है जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। विद्वान अभिभाषक का तर्क है कि चारागाह भूमि पर धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। उनका तर्क है कि अपीलांट ने न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया जिससे विवादित आराजी संवत 2016 में उनकी खुदकाश्त में दर्ज होना सिद्व होती हो। विद्वान अभिभाषक का तर्क है कि जमींदारी बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम, 1959 लागू होने के समय विवादित आराजी खाली होने के कारण ही उसे चारागाह दर्ज किया गया है एवं चारागाह भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील को खाजि करने का निवेदन किया ।

6. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली व उस पर उपलब्ध रिकार्ड का गहनता से ससम्मान अध्ययन किया गया।

7– प्रकरण में महत्वपूर्ण विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या अपीलांटस राजस्थान जमींदारी बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम, 1959 लागू होने के समय राजस्व रिकार्ड में खुदकाश्त दर्ज थे अथना नहीं? इस संबंध में पत्रावली व रिकार्ड का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में खुदकाश्त मकबूजा मालकान दर्ज है। अपीलांट के नाम का कोई इन्द्राज जमाबंदी में नहीं है तथा भूमि की किस्म बंजड कदीम व बंजड जदीद दर्ज है एवं किसी का कब्जा काश्त नहीं था। इसी आधार पर विवादित आराजी को चारागाह दर्ज किया गया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड से विवादित आराजी पर उसका कब्जा होना प्रकट होता है परन्तु चारागाह भूमि पर कानूनन कोई खातेदारी अधिकार अपीलांटस को प्राप्त नहीं हो सकते है। अपीलांट द्वारा ऐसा कोई राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया जिससे विवादित आराजी संवत 2016 में उनकी खुदकाश्त होना साबित हो सके। मकबूजा मालकान को खुदकाश्त के समकक्ष नहीं माना जा सकता है। जमींदारी बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम, 1959 लागू होने के समय विवादित आराजी खाली होने के कारण उसे चारागाह दर्ज किया गया है एवं चारागाह भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण में समवर्ती निष्कर्ष व समवर्ती निर्णय पारित किये है, जिसमें किसी प्रकार की विधि एवं तथ्य संबंधी त्रुटि/अनियमितता नहीं पाये जाने के कारण हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

8. परिणामतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक क्रमशः न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकरी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17–05–2003 व न्यायायल सहायक कलेक्टर, वैर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31–01–2001 बहाल रखे जाते है।

9. निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमला अलारिया)
सदस्य

(आर.डी0मीणा)
सदस्य